



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 118-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2017

दिनांक 04 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वै० एवं या०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अन्यत्र तैनाती होने तक, उनके द्वारा वही कार्य देखा जायेगा जो कि वह मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के रूप में पहले से देख रहे हैं। तैनाती के आदेश बाद में पृथक रूप से निर्गत किये जायेंगे:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान पद एवं तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3
1.	श्री संदीप कुमार/86106/ नैनीताल/30.11.2021	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियन्ता (परिकल्पना एवं कय), ट्रान्सको, लखनऊ
2.	श्री विराग बंसल/86007/ अलीगढ़/30.11.2021	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ
3.	श्री रामजी लाल (अ०पि०व०)/86008/ मैनपुरी/31.05.2020	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सम्बद्ध), प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा
4.	श्री संजय आनन्द जैन/86009/ सहारनपुर/31.01.2022	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, (सम्बद्ध), प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ
5.	श्री हसन शहीर (अ०पि०व०)/86117/ गोरखपुर/30.06.2021	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियन्ता (आर०जी०जी०वाई०), मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
6.	श्री अन्शुल अग्रवाल/86010/ बुलन्दशहर/28.02.2022	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, पविविविनिल, मुरादाबाद

- उपरोक्त अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, (वै० एवं या०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जा रहा है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाने की स्थिति में कनिष्ठतम मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, स्वतः मुख्य अभियन्ता, स्तर-2(वै० एवं या०) के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

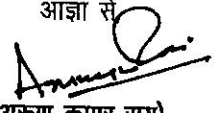
Amrinder Singh

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 118-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 उर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

(अरुण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)